



2026:AHC:33596

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

रिट ए संख्या- 2239 सन् 2026

हरीओम कुमार एवं 10 अन्य

..... याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

..... प्रत्यर्थीगण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : मिथिलेश कुमार तिवारी

प्रत्यर्थीगण के अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या- 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. याचिकाकर्ताओं (जिनकी संख्या 11 है) के विद्वान अधिवक्ता श्री मिथिलेश कुमार तिवारी और राज्य-प्रत्यर्थीगण की ओर से उपस्थित होने वाले विद्वान अतिरिक्त मुख्य स्थायी अधिवक्ता श्री प्रमोद कुमार श्रीवास्तव को सुना गया।

2. याचिकाकर्ताओं (जिनकी संख्या 11 है) का मामला यह है कि याचिकाकर्ता संख्या 1 को 21.02.2009 को रनर (धावक) के पद पर नियुक्त किया गया था, उसे 01.10.2025 को जूनियर क्लर्क के पद पर पदोन्नत किया गया और फिर वरिष्ठ सहायक के पद पर पदोन्नत किया गया तथा वर्तमान में वह वाराणसी के ट्यूबवेल खंड में तैनात हैं। याचिकाकर्ता संख्या 1 ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा भी प्राप्त किया है। याचिकाकर्ता संख्या 2 को 22.11.2007 को पंप ऑपरेटर के पद पर नियुक्त किया गया था, उन्होंने भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा पूरा किया है, जबकि याचिकाकर्ता संख्या 3 को 29.01.2009 को मैकेनिक के पद पर नियुक्त किया गया था, उसे 20.08.2013 को स्थायी कर दिया गया था, उन्होंने भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा पूरा किया है। याचिकाकर्ता संख्या 4 को प्रारंभ में 03.09.2002 को चपरासी के पद पर नियुक्त किया गया था, उन्हें 29.08.2014 को स्थायी कर दिया गया था, उसके पास भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा है। याचिकाकर्ता संख्या 5 को प्रारंभ में 20.02.2009 को पंप ऑपरेटर के पद पर नियुक्त किया गया था, उन्हें 29.06.2013 को स्थायी कर दिया गया था, उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा पूरा किया है। याचिकाकर्ता संख्या 6 को प्रारंभ में 26.02.2009 को रनर (धावक) के पद पर नियुक्त किया गया था, उसे

2

13.06.2013 को स्थायी कर दिया गया था, उसके पास भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा है। याचिकाकर्ता संख्या 7 को प्रारंभ में 25.02.2009 को ड्राफ्ट्समैन के पद पर नियुक्त किया गया था, उसकी सेवा 21.04.2015 को स्थायी कर दी गई थी, उसके पास भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा है। याचिकाकर्ता संख्या 8 को 01.12.2012 को ट्यूबवेल ऑपरेटर के रूप में नियुक्त किया गया था, उसे 18.05.2016 को स्थायी कर दिया गया था। याचिकाकर्ता संख्या 9, जिसकी नियुक्ति 22.08.2013 को कनिष्ठ सहायक के पद पर हुई थी, उन्हें कनिष्ठ सहायक के रूप में स्थायी किया गया और वरिष्ठ सहायक के पद पर पदोन्नत किया गया, उसने भी यांत्रिक इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया है। याचिकाकर्ता संख्या 10, जिसकी नियुक्ति 24.06.2014 को कनिष्ठ सहायक के रूप में हुई थी, उसे

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



29.09.2018 को स्थायी किया गया, उसके पास भी यांत्रिक इंजीनियरिंग में डिप्लोमा है। याचिकाकर्ता संख्या 11, जिसकी नियुक्ति 29.08.2014 को कनिष्ठ सहायक के पद पर हुई थी, उन्हें 31.01.2018 को स्थायी किया गया, उन्हें वरिष्ठ सहायक के पद पर पदोन्नत किया गया और उसके पास भी यांत्रिक इंजीनियरिंग में डिप्लोमा है। याचिकाकर्ताओं के अनुसार, वे उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग यांत्रिक अभियंता (अधीनस्थ) सेवा नियमावली, 1992 के नियम 5(3) और नियम के अनुसार 10% कोटा के तहत कनिष्ठ अभियंता (यांत्रिक) के पद पर पदोन्नति के लिए विचार किए जाने के पात्र हैं।

3. इस याचिका में प्रार्थना की गई है कि प्रत्यर्थागण को दावे पर विचार करने का निर्देश दिया जाए।
4. विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ताओं को केवल पदोन्नति के लिए विचार किए जाने का अधिकार है, हालांकि, यह पात्रता, उपयुक्तता और नियमों के अनुपालन के अधीन है। इसलिए उन्होंने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ताओं के दावे का प्रथम दृष्ट्या द्वितीय प्रत्यर्था, मुख्य अभियंता (यांत्रिक), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा निपटारा किया जाना चाहिए।
5. इस प्रकार की दलील पर याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता को कोई आपत्ति नहीं है और वे इसे सहर्ष स्वीकार करते हैं।
6. विपक्षियों की दलीलों और उनके द्वारा लिए गए रुख पर विचार करते हुए, रिट याचिका का निपटारा किया जा रहा है। याचिकाकर्ताओं को याचिका की स्व-सत्यापित प्रति सहित एक विस्तृत

3

अभ्यावेदन द्वितीय प्रत्यर्था के समक्ष प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता दी जाती है, जो इसे प्राप्त होने पर दो सप्ताह की अवधि के भीतर, आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तिथि से चार महीने की अवधि के भीतर विधि के अनुसार याचिकाकर्ताओं के दावे का निर्णय करेगा। यदि द्वितीय प्रत्यर्था का मत है कि मामले का निर्णय किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा किया जाना है, तो कागजात उन्हें भेज दिए जायेंगे।

7. यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि रिट याचिका का निर्णय बिना प्रत्यर्थागण से कोई प्रतिक्रिया मांगी गई है। अतः, इस आदेश को पारित करने का यह अर्थ नहीं लगाया जा सकता कि न्यायालय ने मामले के गुण-दोषों पर विचार किया है।

8. उपरोक्त रिप्पडी के आधार पर, रिट याचिका का निपटारा किया जाता है।

16 फरवरी, 2026

राख

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"